श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

क्रमांकः प्रवेश / 2015 / दिनांक : 10 / 07 / 2015

शैक्षणिक सत्र 2015–16 में बी.ई. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों हेतु दिशा निर्देश

संस्थान में रिपोर्टिंग

1. पात्रता / योग्यताः–

वर्ष 2015–16 में संस्थान के बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने डीटीई / एमपी ऑनलाईन से इस संस्थान में शिक्षण शुल्क छूट **(FW)** एवं प्रथम चरण **(First Round)** के अन्तर्गत प्रवेश हेतु **"Allotment Letter"** प्राप्त किया हो।

2. रिपोर्टिंगः–

इस संस्थान (एसजीएसआईटीएस) में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों हेतु निम्न समय–सारणी नियत की गई हैः–

दिनांक : दि. 14 से 20 जुलाई, 2015 तक

समय : सुबह 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक।

स्थान : काउंसिलिंग हॉल – ए.टी.सी. बिल्डिंग

3. वांछित अनिवार्य दस्तावेजः–

निम्न दस्तावेजों की मूलप्रतियां (Originals) प्रमाणीकरण हेतु तीन सेट फोटोकॉपी के साथ अन्य सभी दस्तावेज जो लागू हों:–

(i) कक्षा 10वीं की मार्कशीट (अनिवार्य है)

(ii) कक्षा 12वीं की मार्कशीट (अनिवार्य है)

(iii) म.प्र. मूलनिवासी – सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी / स्व–प्रमाणित) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (अनिवार्य है)।

(iv) आय प्रमाण–पत्र – सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी / स्व–प्रमाणित) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (अनिवार्य है)।

(v) जाति प्रमाण–पत्र – सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र(लागू हो तो अनिवार्य है) ।

(vi) अन्य लागू कोटे **(Sainik/Handicapped/NCC/FF/TS/Sports)** का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (अनिवार्य है) ।

4. निम्न दस्तावेजों की मूल प्रतियां (तीन सेट फोटोकॉपी सहित):–

(vi) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (मूलप्रति अनिवार्य है)।

(vii) प्रवजन (माईग्रेशन) प्रमाण पत्र (मूलप्रति अनिवार्य है)।

(viii) चरित्र प्रमाण–पत्र (मूलप्रति अनिवार्य है)।

(ix) गैप सर्टिफिकेट नोटरी किया हुआ।यदि 12वीं कक्षा वर्ष 2015 के पूर्व उत्तीर्ण की हो तो (मूलप्रति अनिवार्य है)।

(x) अलॉटमेन्ट लेटर जो कि डीटीई / एमपीऑनलाईन द्वारा विद्यार्थी के नाम से जारी हुआ है का प्रिंन्टआउट।

(xi) रूपये 50 / – के स्टाम्प पर छात्र एवं उनके पालक द्वारा रैंगिंग के रोकथाम से सम्बन्धित वचन–पत्र जो कि इस सूचना–पत्र के अगले दो पृष्ठों पर दिये गये हैं को वेबसाईट से डाउनलोड किये जाकर नोटरी पष्चात् लाना है।

चार पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ एवं उपरोक्त सभी दस्तावेजों की तीन–तीन छायाप्रतियां भी लाना अनिवार्य हैं (विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों की एक–एक छायाप्रति स्वयं के लिए भी रखें)।

5. शुल्क का विवरण :–

शैक्षणिक सत्र 2015–16 में बी.ई. प्रथम वर्ष (प्रथम सेमिस्टर जुलाई से दिस. 2015) में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों हेतु निम्नानुसार शुल्क देय होगाः–

Course/Branch	Tuiton Fees	Exam fees	Instt. Dev. Fees	Misc. Fees Instt.	Exam. Dev. Fee	Enrol. Fee*	Univ. Fee (RGPV)	Buiding Dev. Fund	Prospectus Fee*	Parking Fee.*	Caution Money#	Total	च्वाईस फिलिंग के समय जमा राशि रू.**1000/-** घटाकर देय कुल राशि
B.E. (FW)	TFW	1800	2500	2500	1000	150	550	1500	100	400	5,000	15,500	**14,500/-**
B.E.(CE/CS/EC/ EE/EI/IP/ME)	15105	1800	2500	2500	1000	150	550	1500	100	400	5,000	30,605	**29,605/-**
B.E.- BM/ IT	27500	1800	2500	2500	1000	150	550	1500	100	400	5,000	43,000	**42,000/-**

*Fees payable once (at the time of admission) for entire course. Enrolment fess Rs. 500/- extra for passing 12th from out of MP.
#Caution money amount refundable after completion of degree.

नोटः– राज्य शासन की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछडा वर्ग के छात्रो को शुल्क वापसी तथा छात्रवृत्ति का नियमानुसार लाभ दिया जाता है। इस हेतु छात्र, आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाईट http://www.scholarshipportal.mp.nic.in पर अपना आवेदन जमा करना अनिवार्य है, तथा उसका प्रिंट आउट लेकर वांछित सत्यापित दस्तावेजो के साथ संलग्न कर संस्थान के पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप सेक्शन मे भी जमा करे, जिससे कि छात्रो को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना लाभ स्वीकृत किया जा सके।

नोट–

1. रजिस्ट्रेशन फार्म हेतु राशि रूपये 50 / – सभी छात्रों हेतु अलग से देय होगी जो कि संस्थान के लेखा विभाग से प्राप्त किये जा सकेंगे।
2. शुल्क का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि ''निदेशक, एसजीएसआईटीएस, इन्दौर'' के पक्ष में देय होगा से किया जावेगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं होने की दशा में राशि संस्थान में नकद भी जमा की जा सकती है।
3. बी.ई प्रथम वर्ष के नियमित कक्षाओं की तिथियां बाद में घोषित की जावेंगी।

DIRECTOR

Copy to:Coordinator(UG)/Registrar/Accounts Section/PMS/OBC, SGSITS Branch/Admission UG/Director's Office/Nodal Officer-Counseling/Instt. Website/UG Section.

S.B. Mishra/Admission 2015

प्रारूप *संलग्नक–1*

TO BE NOTARIZED ON Rs. 50/- NON JUDICIAL STAMP

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण–पत्र

1. अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र मैं पुत्र/पुत्री ——————————————————— श्री/श्रीमती/सुश्री ————————————————————————— ने रैंगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों के इससे संबंधित निर्देषों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च षिक्षण संस्थानों में रैंगिंग रोकने से संबंधित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है, समझा लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैंगिंग के क्या माने हैं?
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैंगिंग के लिये किसी को उकसाता/उकसाती हूँ या किसी तरह की रैंगिंग में भाग लेता/लेती हूँ तो प्रषासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निष्चय पूर्वक यह प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि :–

   (क) मैं किसी की रैगिंग, जोकि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है, उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी।

   (ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा/लूँगी, जोकि रैगिंग की धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।

5. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पायी गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
7. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरूद्ध देष की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेष निरस्त किया जा सकता है।

स्थान—————————— दिन ————————— महिना—————————— वर्ष ——————————

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

शपथ–पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ–पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ–पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित —————————— स्थान—————————— दिन ———————— महिना———————— वर्ष ————————

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ–पत्र में दिये गये तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किये।

शपथ–आयुक्त

TO BE NOTARIZED ON Rs. 50/- NON JUDICIAL STAMP

प्रारूप–2

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

मध्यप्रदेष के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में

प्रवेष प्राप्त छात्र/छात्राओं के पिता/माता द्वारा दिया जाने वाला वचन–पत्र

मैं, पिता या माता –––––––––––––––––––––––––––– विद्यार्थी का नाम ––––––––––––––––– वर्ष –––––––– इंजीनियरिंग महाविद्यालय ––––––––––––––––––––––– संस्था की विवरण पत्रिका में समाविष्ट म. प्र. विष्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेष के नियम 12 एवं 13 आचरण संहिता के निम्नांकित प्रावधान से पूर्णतः भिज्ञ हूँ।

1. कि छात्र संस्था में सदैव अच्छा व्यवहार करेगा, परिश्रमपूर्वक अध्ययन करेगा, षिष्टाचार तथा गरिमा बनाये रखेगा, सह पाठ्यचारी कार्यकलापों में समुचितरूप से भाग लेगा और संस्था के अनुषासन संबंधी नियमों का पालन करेगा।
2. विद्यार्थी के संस्थान के परिसर के भीतर या बाहर अनुषासन भंग करने का दोषी पाये जाने पर या दुराचरण का दोषी पाये जाने पर प्राचार्य अपराध के स्वरूप तथा गंभीरता के अनुसार आचरण संहिता में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार

   (क) विद्यार्थी को एक सप्ताह अवधि के लिये कक्षा में भाग लेने से निलंबित कर सकेंगे, या
   (ख) विद्यार्थी को संस्था से निकाल (एक्सपेल) सकेंगे, या
   (ग) विद्यार्थी को अगली परीक्षा में भाग लेने से अनर्हत घोषित कर सकेंगे या
   (घ) विद्यार्थी को निष्कासित (रेस्टीकेट) कर सकेंगे।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि विद्यार्थी ऐसी कोई गतिविधियाँ और संस्था के स्वच्छ वातावरण या अनुषासन को दूषित करें या संस्था में पाठन की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करें, मैं भाग नहीं लेगा।
4. मैं स्वीकार करता हूँ कि विद्यार्थी के संस्था में प्रवेषित रहने की अवधि में किसी भी समय, किसी भी कारण, संस्था प्राचार्य द्वारा बुलाये जाने पर जिसकी सूचना मुझे छात्र के माध्यम से या सीधे प्राप्त होगी, मैं निर्दिष्ट अवधि में प्राचार्य के सम्मुख उपस्थित होउंगा तथा ऐसा न करने पर प्राचार्य को केवल इस आधार पर कि मैं उनके समक्ष निष्चित अवधि में उपस्थित नहीं हुआ, यह अधिकार होगा कि वे विद्यार्थी को निलंबित कर सके या उनका प्रवेष निरस्त कर सकें।
5. मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि अध्ययनकाल में छात्र के एक संस्था से दूसरी संस्था में योग्यता व अन्य कारणों से प्रवेष या स्थानांतरण की स्थिति में यह वचनपत्र पूर्व की संस्था द्वारा स्थानांतरण की संस्था को भेजा जा सकेगा या दूसरी संस्था में इसी वचन पत्र की शर्तें बंधनकारक रहेंगी।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

पिता/माता के हस्ताक्षर जो संस्था में
सक्षम अधिकारी के समक्ष करना है।

स्थान : ––––––––––––––––––––––

दिनांक : ––––––––––––––––––––––

पूरा नाम : ––––––––––––––––––––

स्थाई पता : ––––––––––––––––––

टीप : पिता या माता के जीवित न होने पर ही अभिभावक के हस्ताक्षर मान्य होंगे, जिसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा / 2013 / 513 दिनांक 31 / 07 / 2013

आदेश

विषयः– संस्थान के अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछडा वर्ग के छात्रो को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत षिक्षण शुल्क में छूट के पूर्व विद्यार्थी आवष्यक सत्यापित दस्तावेज अनिवार्य रुप से जमा करे ।

राज्य शासन की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछडा वर्ग के छात्रो को पूर्ण या अर्ध षिक्षण शुल्क मुक्ति तथा छात्रवृत्ति का नियमानुसार लाभ दिया जाता है। इस हेतु छात्र, आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाईट http://www.scholarshipportal.mp.nic.in पर अपना आवेदन जमा करना अनिवार्य है, तथा उसका प्रिंट आउट लेकर एक प्रति, निम्नलिखित सत्यापित दस्तावेजो के साथ संलग्न कर संस्थान के पोस्ट मेट्रिक स्कालरषिप सेक्षन मे भी जमा करे, जिससे कि छात्रो को पूर्ण या अर्ध षिक्षण शुल्क मुक्ति का लाभ स्वीकृत किया जा सके :–

1. आय प्रमाण पत्र :– विद्यार्थी के माता पिता / अभिभावक की सभी स्त्रोतो से कुल आय की घोषणा एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो, जिसमे समस्त प्रकार के भत्ते, ग्रेड वेतन, मंहगाई भत्ता आदि शामिल हों। आय प्रमाण–पत्र में नियोक्ता का प्रमाण पत्र केवल शासकीय कर्मचारी अथवा प्राइवेट लिमिटेड संस्था का ही मान्य होगा। अन्य प्राइवेट संस्था जैसे किसी दुकान का आय प्रमाण पत्र मान्य नही है, ऐसे प्रकरण मे राजस्व अधिकारी द्वारा जारी पिता / पालक का आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विगत वर्षो मे देखा गया है कि आय प्रमाण–पत्र छात्र–छात्रा के नाम से ही जारी किया जावेगा जो मान्य नही होगा।
2. स्थायी जाति प्रमाण पत्र :– एस.डी.एम द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य।
3. मूल निवासी प्रमाण पत्र :– म.प्र. मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे।
4. उत्तीर्ण अंक सूची :–विगत निरंतर दो वर्ष की उत्तीर्ण अंक सूची अथवा गेप प्रमाण पत्र।
5. छात्रावासी प्रमाण पत्र :– छात्रावास में रहने वाले छात्रों को होस्टल के वार्डन द्वारा जारी छात्रावासी प्रमाण–पत्र पोस्ट मेट्रिक स्कालरषिप आवेदन पत्र के साथ जमा करे जिससे कि छात्रावासी की दर से छात्रो को छात्रवृत्ति स्वीकृत हो सके।
6. पालक व छात्र के हस्ताक्षर :– आवेदन पत्र फार्म मे होना चाहिए।
7. बैक खाता नम्बर की पास बुक की फोटोकापी :– संस्थान के वे विद्यार्थी जिन्हे पोस्ट मेट्रिक स्कालरषिप छात्रवृत्ति की पात्रता आती है, वे अपने ओरिएन्टल बैक आफ कामर्स बैक का खाता नम्बर की पास बुक की फोटोकापी साथ में संलग्न करे ।
8. षिक्षण शूल्क में छुट माफ न होना :– निर्धारित सीमा से अधिक वार्षिक आय होने पर अथवा उपरोक्त प्रमाण पत्रो के अभाव में षिक्षण शुल्क में किसी प्रकार की न तो छूट दी जावेगी और न ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। छात्र को सामान्य वर्ग के छात्रो की भांति पूरा षिक्षण शुल्क इत्यादि जमा करना होगा।
9. शासन द्वारा षिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति स्वीकृत न करना :– उल्लेखनीय है कि राज्य शासन से संस्थान द्वारा माफ किये गये षिक्षण शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति प्राप्त न होने या माफ की गयी षिक्षण शुल्क आदि कम प्राप्त होने पर संबंधीत छात्रो द्वारा शुल्क वहन किया जावेगा।
10. अन्य जानकारी :– अन्य जानकारी के लिये कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण विभाग) इन्दौर के पत्र क्रमांक / पोमेछा / 2013–14 / 3010 दिनांक 02 / 07 / 2013 का अवलोकन करे, जो इस संस्थान की वेबसाईड पर उपलब्ध है।

निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. संस्थान की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु
2. समस्त सूचना–पटल
3. आदिम जाति कल्याण विभाग, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर